राजस्थान सरकार
शिक्षा–विभाग
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ1( )एच.आर.डी/ आकाशि/राजसेस/22/58 दिनांकः 8.6.22

प्राचार्य/नोडल अधिकारी,
समस्त सोसाइटी अधीन संचालित महाविद्यालय

विषयः– सोसाइटी के तहत सृजित राजकीय महाविद्यालयों में पदस्थापित शैक्षणिक कर्मियों के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बाबत्।
संदर्भः– विभिन्न महाविद्यालयों से प्राप्त विभिन्न पत्रों के क्रम में।

उक्त क्रम में लेख है कि सोसाइटी के अन्तर्गत सृजित महाविद्यालयों में पदस्थापित शैक्षणिक कार्मिकों के अवकाश प्रकरणो के निस्तारण, समर्पित उपार्जित अवकाश का भुगतान, आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि के आदेश, कार्यालयाध्यक्ष एवं सेवा पुस्तिका तथा निजी रिकॉर्ड संधारण के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही करावेंः–

1. ऐसे शैक्षणिक कार्मिक जो राजमेस सोसायटी की तर्ज पर बनने वाली सोसायटी के तहत सृजित महाविद्यालयों में स्थानान्तरण पश्चात् पद स्थापित किये गये है, उनके सेवा पुस्तिका, पर्सनल फाईल, व्यक्तिगत रिकॉर्ड का संधारण नोडल महाविद्यालय द्वारा किया जाना है।
2. इन कार्मिकों के अवकाश प्रकरणो का निस्तारण, समर्पित उपार्जित अवकाश के भुगतान स्वीकृति आदेश, आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि आदि के आदेश, नोडल महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा जारी किये जायेंगे।
3. संबंधित नोडल महाविद्यालय की स्वीकृति उपरांत उपार्जित अवकाश, टी.ए/डी.ए, मेडिकल बिलो का भुगतान एवं अन्य भुगतान, वेतन आहरित करने वाले महाविद्यालय द्वारा किये जायेंगे।
4. उक्त शैक्षणिक कार्मिकों के अन्य स्थापना से सम्बंधित कार्य नोडल महाविद्यालय द्वारा सम्पादित किये जायेंगे।
5. सभी शैक्षणिक कार्मिक की वार्षिक कार्य मुल्यांकन रिपोर्ट नोडल महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा ही भरी जानी है।
6. उक्त महाविद्यालयों में कार्यव्यावस्थार्थ उपस्थिति देने वाले शैक्षणिक कार्मिकों के मूल सेवा रिकार्ड का संधारण, उनके पदस्थापित महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा। उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि, समर्पित अवकाश के नकदीकरण की सहमति इत्यादि समस्त कार्य मूल पदस्थापित महाविद्यालय द्वारा किये जायेंगे। इनके अवकाश को स्वीकृति नोडल महाविद्यालय की अनुशंसा पश्चात् मूल पदस्थापित महाविद्यालय कि प्राचार्य के द्वारा जारी की जायेगी।

उक्त निर्देश सोसायटी के नियम लागु होने या विभाग द्वारा नये दिशा निर्देश जारी करने तक के लिये है।

उक्त हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।

08/06/2022
(डॉ.आर.सी.मीना.)
संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, (आयोजना), आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा।
5. वित्तिय सलाहकार, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
6. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय।
7. रक्षित पत्रावली।
8. वेबसाइट प्रभारी, अपलोड हेतु।

08/06/22

(डॉ.आर.सी.मीना.)
संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर